

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-1/अ0प्र0-01-16/2017

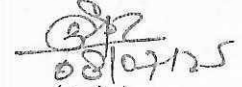
370

/पटना दिनांक 8.7.25

श्रीमती नमिता सिन्हा, उच्चवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को अमरनाथ यात्रा पर जाने हेतु दिनांक-09.07.2025 से 31.07.2025 तक कुल 23 (तेईस) दिनों का उपार्जित अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

2. श्रीमती नमिता सिन्हा, उच्चवर्गीय लिपिक के उक्त उपार्जित अवकाश अवधि में प्रशाखा-08 का डायरी कार्य श्रीमती रश्मि कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, प्रशाखा-13 का डायरी कार्य श्रीमती साधना तिवारी, निम्नवर्गीय लिपिक (संविदा) एवं प्रशाखा-07 का डायरी कार्य श्रीमती सोनामति कुमारी, उच्चवर्गीय लिपिक करेंगी।

3. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


(उमंग)

सरकार के अवर सचिव

/पटना दिनांक 8.7.25

ज्ञापांक:-1/ अ0प्र0-01-16/2017

7382

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, राचिवालय कोषागार विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


08/07/25

सरकार के अवर सचिव

/पटना दिनांक 8.7.25

ज्ञापांक:-1/ अ0प्र0-01-16/2017

7382

प्रतिलिपि:- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, 08 एवं 13/श्रीमती नमिता सिन्हा, उच्चवर्गीय लिपिक/श्रीमती रश्मि कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक/श्रीमती साधना तिवारी, निम्नवर्गीय लिपिक (संविदा) एवं श्रीमती सोनामति कुमारी, उच्चवर्गीय लिपिक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


08/07/25

सरकार के अवर सचिव

/पटना दिनांक 8.7.25

ज्ञापांक:-1/ अ0प्र0-01-16/2017

7382

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


08/07/25

सरकार के अवर सचिव

42